(8)

क्रम-संख्या—60

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 मार्च, 2003

फाल्गुन 22, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 365/सात—वि—1—1 (क)-2-2003

लखनऊ, 13 मार्च, 2003

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 12 मार्च, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2003)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा।

(2) यह 21 नवम्बर, 2002 से प्रवृत्त हुआ माना जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983 की धारा 6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(क) न्यास परिषद का अध्यक्ष एक ऐसा गैर सरकारी हिन्दू होगा जो हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णात हो और श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।"

धारा 7 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 7 में,–

(क) उपधारा (1) में,

(एक) शब्द "प्रत्येक सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष या कोई सदस्य" रख दिये जायेंगे ;

(दो) प्रथम परन्तुक में शब्द "खण्ड (क) या" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "किसी सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 8 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) राज्य सरकार न्यास परिषद् के अध्यक्ष या किसी सदस्य को जो पदेन सदस्य से भिन्न हो, अयोग्यता या दुराचार के आधार पर हटा सकती है।

(2) न्यास परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक उसे अपने हटाये जाने के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तिसंगत अवसर न दे दिया जाय।"

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यकलापों के प्रभावी प्रबन्ध और प्रशासन की व्यवस्था करने की दृष्टि से यह समीचीन समझा गया था कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 की धारा 6 और 7 के उपबन्धों को संशोधित करके किसी ऐसे व्यक्ति को न्यास परिषद् के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में व्यवस्था की जाय; जो हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णात एक गैर सरकारी हिन्दू हो और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता हो और उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों को भी संशोधित करके उक्त अध्यक्ष या सदस्य को हटाये जाने के सम्बन्ध में उपबन्धों और आधारों की व्यवस्था की जाय।

2–डा० विभूति नारायण सिंह, भूतपूर्व काशी नरेश, उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 की धारा 6 (2) (क) और 7 (1) के अधीन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास परिषद् के आजीवन सदस्य एवं अध्यक्ष थे और 25 दिसम्बर 2000 को उनका स्वर्गवास हो जाने के कारण उक्त पद रिक्त हो गया और इसलिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यकलापों के प्रभावी प्रबन्ध और प्रशासन के लिए उक्त अधिनियम के उपर्युक्त उपबन्धों को संशोधित किया जाना आवश्यक था।

3–चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 के उपर्युक्त उपबन्धों को संशोधित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2002 को उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 प्रख्यापित किया गया।

4–यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
सचिव।

No. 365 (2)/VII-V-1-1 (KA) 2-2003

Dated Lucknow, March 13, 2003

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Mandir (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 12, 2003 :—

THE UTTAR PRADESH SRI KASHI VISHWANATH TEMPLE

(AMENDMENT) ACT, 2003

(U.P. Act no. 3 of 2003)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force on November 21, 2002.

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 29 of 1983

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2) *for* clause *(a)* the following clause shall be *substituted* namely :—

"*(a)* The President of the Board shall be a non-official Hindu well versed in Hindu theology and having good knowledge and experience in the management and administration of the affairs of Sri Kashi Vishwanath Temple and any worship, service, ritual or religious observance made therein to be nominated by the State Government."

Amendment of section 7

3. In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) :—

(i) for the words "every member" the words "The President or any member" shall be *substituted;*

(ii) in the first proviso the words "clause *(a)* or" shall be *omitted.*

(b) in sub-section (2) "a member" the words "The President or a member" shall be *substituted.*

Amendment of section 8

4. In section 8 of the principal Act, *for* sub-sections (1) and (2) the following sub-sections shall be *substituted* namely :—

"(1) The State Government may remove the President or any member of the Board other than an *ex-officio* member on the ground of unfitness or misconduct.

(2) The President or any member of the Board shall not be removed under this section unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against his removal."

Repeal and Savings

5. (1) The Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Ordinance, 2002 is hereby repealed.

U.P. Ordinance 21 of 2002

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to providing effective management and administration to the affairs of Sri Kashi Vishwanath Temple, it was considered expedient to amend the provisions of sections 6 and 7 of The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983 to provide the provisions regarding nomination of a person as President member of Board of Trustee; who shall be a non-official Hindu well versed in Hindu theology and having good knowledge and experience in the management and administration of the affairs of Sri Kashi Vishwanath Temple and any worship, service, ritual of religious observance made therein; and also to amend the provisions of section 8 of the said Act to provide provisions and grounds regarding removal of such President or member.

2. Dr. Vibhuti Narayan Singh *Ex.* Kashi Naresh was life long member and President of Board of Trustee of Sri Kashi Vishwanath Temple under sections 6 (2) (a) and 7 (1) of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983 and due to his death on 25th December, 2000; the such post became vacant and it was therefore necessary to amend the aforesaid provisions of the above Act for the effective management and administration of the affairs of Sri Kashi Vishwanath Temple.

3. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to amend the aforesaid provisions of The Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple Act, 1983 hence. The Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Ordinance, 2002 was promulgated by the Governor on 21st November, 2002.

4. This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
R.B. RAO,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1079 राजपत्र (हि०)–(2521)–2003–597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 263 सा० विधायी–(2522)–2003–850–(कम्प्यूटर/आफसेट)।